नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

जुगल किशोर बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या 19/2020 **दायरा तिथिः 15.12.2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.02.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा रकबा कमी पूर्ति के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 एल.आर.एक्ट में केवल लिपिकीय अशुदिधयां सही की जा सकती है, किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय RRT 2015 Page 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022 (2) Page 1864 में थी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि LR Act की धारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है। इसलिये हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित वाद में आवे। सुपिधा की दृष्टि से प्रार्थी नियमित वाद में इस पत्रावली को नत्थी करवा सकेगा। निर्णय सरे इजलास पढकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

Scanned by CamScanner